



HAMIRPUR POLICE

थाना जरिया

दिनांक 27.05.2023

अवैध तमंचा/कारतूस सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.05.2023 को थाना जरिया पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ राजू पुत्र भगवती द्विवेदी (उम्र करीब 23 वर्ष) निवासी ग्राम ददरी थाना आटा जनपद जालौन को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जरिया में मु0अ0सं0-152/23, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1) उ0नि0 रविन्द्र कुमार
- 2) हे0का0 शिवेन्द्र सिंह
- 3) का0 आशीष कुमार

